न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 62/2018

1. लवलीन कौर उम्र 9 वर्ष पुत्री गुरदेव सिंह नाबालिग जरिए कुदरतीवली माता वीरपाल कौर पत्नी गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी 56 जीबी हाल वार्ड नं0 15 पूर्णनगर हनुमानगढ़ टाउन तहसील वा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

——— प्रार्थीया

बनाम

1. गुरदेवसिंह पुत्र शर्मसिंह जाति जटसिख निवासी 56 जीबी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र चुघ एडवोकेट – प्रार्थीया की और से
2. श्री इन्द्राज कस्वां एडवोकेट – अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से

दिनांक : 05.07.2019

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा 212 आरटीए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 01 गुरदेवसिंह के नाम से वाके चक 56 जीबी का मु0नं0 1 पत्थर नं0 226/458 का 2.669 हैक्टर रकबा मय खाला, मु0नं0 5 पत्थर नं0 231/460 का किला नं0 16, मु0नं0 8 पत्थर नं0 228/460 का 1.581 हैक्टर, मु0नं0 25 पत्थर नं0 227/463 का किला नं0 0.873 हैक्टर, मु0नं0 26 पत्थर नं0 228/463 का किला नं0 3.036, मु0नं0 29 पत्थर नं0 231/463 का किला नं0 18/3 की 0.050 हैक्टर इस प्रकार कुल 8.417 हैक्टर कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को विरास्तन प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 01 की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 के परिवार के प्रत्येक सदस्य का सहदायिकी के रूप मे जन्म से ही हिस्सा बनता है इसलिए प्रार्थीया वादग्रस्त पैतृक सम्पति मे से अपना 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 अपने हिस्से की भूमि प्रार्थीया के नाम से करवाने को कहा तो अप्रार्थी संख्या 01 ने स्पष्ट इंकार कर दिया। इस प्रकार प्रार्थीया अपने हितो की सुरक्षा के लिए अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित। अप्रार्थी

संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 56 जीबी मु0नं0 26 पत्थर नं0 228/463 व मुरबा नं0 27 पत्थर नं0 229/463 की कुल 6.072 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता शर्मसिंह के नाम से थी अप्रार्थी संख्या 01 के पिता के देहान्त के उपरान्त पिता शर्मसिंह के कुल 9 वारिस थे। जिन्हे विरास्तन आधार पर प्रत्येक को 1/9 हिस्सा के रूप में 0.0674 हैक्टर यानि 2.13 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई है। शेष भूमि मे से 1.581 हैक्टर भूमि अप्रार्थी संख्या 01 को अपनी माता से जरिये दान पत्र दिनांक 24.03.2015 को प्राप्त हुई है तथा 3.036 हैक्टर रकबा जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई है। दस्तबरदारी सम्पति के रूप में प्राप्त सम्पति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह सम्पति पृथक सम्पति की परिभाषा में आती है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी स्वंय की पृथक सम्पति वाके चक 56 जीबी का मु0नं0 1 पत्थर नं0 226/458 का किला नं0 3/1, 4/3, 5/1, 16ता25 की 2.669 हैक्टर मय खाला मे से किला नं0 19ता22 की कुल 0.911 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.09.2017 को जंगीर सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति रामगढिया निवासी 59 जीबी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है वर्तमान में उक्त भूमि खरीददार जंगीर सिंह के कब्जा काश्त में है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 01 के विद्धवान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीया के अधिवक्ता का कहना है कि अप्रार्थी संख्या 1 को वादाधीन कृषि भूमि जरिये विरास्तन प्राप्त हुई है। दस्तबरदारी से प्राप्त भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा बनता है जिसका इन्तकाल रहन बैय नही करने हेतु निर्णय तक पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 की कुछ पैतृक सम्पति तथा कुछ स्वंय अर्जित सम्पति है। प्रार्थीया वकील ने उक्त तथ्यों के समर्थन में राजस्व मण्डल का निर्णय पेश किया। उपरोक्त वादाधीन भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम रिकार्ड में दर्ज उसे वह अन्यत्र बैय, रहन करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अपने अधिकार एंव अधिपत्य को बनाये रखने के लिए अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का सुक्षमता से अवलोकन किया। दोनो पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलेकान किया। 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो कि पैतृक सम्पति है। प्रार्थीया का उक्त कृषि भूमि 1/2 हिस्सा बनता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट नही होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 की कौनसी

सम्पति स्वंय अर्जित सम्पति है परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा इस बात से इन्कार नही किया है कि प्रार्थीया का उपरोक्त रकबा में कोई हित निहित नही है। उपरोक्त वादाधीन भूमि मे से चक 56 जीबी का मु0नं0 1 पत्थर नं0 226/458 के किला नं0 19ता22 की कुल 0.911 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.09.2017 को जंगीर सिंह पुत्र प्यारासिंह जाति रामगढिया निवासी 59 जीबी को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया है वर्तमान में उक्त भूमि खरीददार जंगीर सिंह के कब्जा काश्त में है। उक्त विक्रयशुदा कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य दर्ज नही किये गये है। चूंकि उपरोक्त विक्रयशुदा कृषि भूमि वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही बैचान है जिसका नामान्तकरण दर्ज होना शेष है परन्तु कब्जा विक्रेता के पक्ष में है तथा उपरोक्त विक्रयशुदा 0.911 हैक्टर रकबा अप्रार्थी संख्या 01 मे नाम से दर्ज रिकार्ड नही है। इसलिए उक्त रकबा की हद तक स्थगन प्रभावी नही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में आंशिक रूप से साबित/सिद्ध है।

सुविधा का संतुलन :– जहां तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। अप्रार्थी संख्या की तरफ से ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिनसे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का कोई हित निहित नही है। इस स्थिति में अगर अप्रार्थीया के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थीया को असुविधा होगी एंव प्रार्थीया कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारो से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

अपूर्णीय क्षति :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एंव सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में तय हो चुके है। यदि अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थीया अपने कानूनी अधिकारो से वंचित हो जाएगी। जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आरटीए. आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाके चक 56 जीबी का मु0नं0 1 पत्थर नं0 226/458 का 2.669 हैक्टर मे से बैयनामा दिनांक–25.09.2017 में वर्णित भूमि को स्थगन मुक्त किया जाता है। उक्त बैयनामा में वर्णित भूमि को छोड़कर वाद पत्र की मद संख्या संख्या 02 में वर्णित शेष रकबा की मौका वा रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक पक्षकारान बनाये रखे। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक **05.07.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़